



LF-207

LL.B. (Part-I) New Course
1st Semester Examination, Jan., 2023

Paper - IV

Law of Torts Including Motor Vehicle
Accident Act and Consumer Protection Laws

Time : Three Hours] [Maximum Marks : 100
[Minimum Pass Marks : 36

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Answer any five questions. All questions carry equal marks.

1. "अपकृत्य एक व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है, जो घायल पक्ष के मुकदमे में मुआवजे का अधिकार देता है।" इस कथन पर चर्चा कीजिए और बताइए कि अपकृत्य अपराध, अर्ध-अनुबंध और विश्वास भंग से किस प्रकार भिन्न है?

157_BSP_U/L_(7)

(Turn Over)

"A tort is an infringement of right in rem of an individual, giving a right of compensation at the suit of the injured party." Discuss this statement and state how tort differ from crime, quasi-contract and breach of trust.

2. न्यूसेन्स को परिभाषित कीजिए। बताइए कि न्यूसेन्स की कार्रवाई में वादी को क्या साबित करना जरूरी है? न्यूसेन्स के कानून के तहत प्रदान किए गए वैध बचावों पर चर्चा कीजिए।

Define Nuisance. State what is necessary for the plaintiff to prove in action of nuisance. Discuss the valid defences provided under the law of nuisance.

3. अपकृत्यों में दायित्व के उन्मोचन के आधारों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।

State in brief the grounds of discharge of Liability in torts.

4. राइलैंड्स बनाम फ्लेचर में नियम पर चर्चा कीजिए। कठोर दायित्व का नियम पूर्ण दायित्व

157_BSP_U/L_(7)

(Continued)

(3)

के नियम से किस प्रकार भिन्न है? राइलैंड्स बनाम फ्लेचर के नियम के अपवादों का उल्लेख कीजिए।

Discuss the rule in Rylands V. Fletcher. How is the rule of strict liability different from the rule of absolute liability? State the exceptions to the rule in Rylands V. Fletcher.

5. अपकृत्यों की कार्रवाई में औचित्य और बचाव का विवरण दीजिए।

Give descriptions of justification and defenses in action of torts.

6. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (a) लोक न्युसेंस और निजी न्युसेंस
- (b) सामान्य क्षति और विशेष क्षति
- (c) सदोष परिरोध और सदोष अवरोध

(Turn Over)

157_BSP_U/L_(7)

(4)

(d) आरम्भतः अतिचार और अतिचार

(e) हमला और बैटरी

(f) दुर्भावनापूर्ण अभियोजन

Write short notes on any four of the following :

(a) Public nuisance and Private nuisance

(b) General damage and special damage

(c) Wrongful confinement and Wrongful restraint

(d) Trespass and Trespass ab initio

(e) Assault and Battery

(f) Malicious prosecution

7. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत स्थापित त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र का उल्लेख एवं व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय आयोग की संरचना एवं क्षेत्राधिकार की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय आयोगों के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है?

157_BSP_U/L_(7)

(Continued)

(5)

State and explain three-tier Consumer Disputes Redressal Machinery established under the Consumer Protection Act, 1986. Discuss the composition and jurisdiction of the National Commission. Where can an appeal lie against the order of the National Commissions ?

8. मोटर वाहन अधिनियम 1988 में दिए गए कानूनी प्रावधानों पर चर्चा कीजिए जो बिना गलती के दायित्व के सिद्धान्त पर मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करता है।

Discuss the legal provisions as given in Motor Vehicles Act 1988 which provides for payment of compensation on the principle of no-fault liability.

9. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण परिषद के उद्देश्य एवं भूमिका की विस्तार से चर्चा कीजिए।

Discuss in detail the object and role of Consumer Protection Council under the Consumer Protection Act, 1986.

(6)

10. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :

- (a) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों की सजा के लिए सामान्य विधिक प्रावधान।
- (b) इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वी० पी० शांता [(1995) 6 एस० सी० सी 651], जिसने चिकित्सा पेशे में निजी चिकित्सकों या अस्पतालों या सरकारी औषधालयों में कार्यरत सरकारी डॉक्टरों के रूप में लगे व्यक्तियों पर अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद को सुलझाया।

Write a note on the following :

- (a) General provision for punishment of offences under the Motor Vehicle Act, 1988.
- (b) Decision of the Supreme Court in Indian Medical Association versus V.P. Shantha [(1995) 6 SCC 651], which settled the dispute regarding applicability of the Act to persons engaged in medical profession either as private

(7)

practitioners or as Government Doctors
working in Hospitals of Government
Dispensaries.
